संख्या–222/V-2/2020-66(आ0)/2017

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– **उपाध्यक्ष,**
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

2– **उपाध्यक्ष**
हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार।

3– **उपाध्यक्ष,**
समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण
उत्तराखण्ड।

4– **आयुक्त,**
उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद,
देहरादून।

5– **संयुक्त मुख्य प्रशासक,**
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास
प्राधिकरण, देहरादून।

6– **मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,**
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
देहरादून।

आवास अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनाक** 01 फरवरी ~~**जनवरी**~~**, 2021**

विषय : उत्तराखण्ड आवास नीति, 2017 में संशोधन विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्यक विचारोपरांत लिए गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या–1058/ V-2-2021-66(आ0)/2017, दिनांक 15.9.2017 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड आवास नीति, 2017 के प्रस्तर–4 किफायती आवास मॉडल के "मॉडल–3 किफायती आवास परियोजना : निजी निर्माणकर्ता द्वारा निजी भूमि में" हेतु निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित प्राविधानानुसार संशोधन किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

स्तम्भ–1	**स्तम्भ–2**
वर्तमान प्राविधान	**संशोधित प्राविधान**
• एफ0ए0आर0 का 45 प्रतिशत (35 प्रतिशत ई0एब्यलू0एस0 तथा 10 प्रतिशत एल0आई0जी0, भूतल+तीन तल), तथा शेष एफ0ए0आर0 मे एल0एम0आई0जी0, एम0आई0जी0 तथा एच0आई0जी0 भवन निर्मित किये जा सकते हैं। • विकासकर्ता द्वारा किफायती आवासीय ईकाईयों को स्थानीय विकास प्राधिकरणों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराया जायेगा।	• एफ0ए0आर0 का 35 प्रतिशत ई0डब्ल्यू0एस0 (भूतल+तीन तल), तथा शेष एफ0ए0आर0 में एल0आई0जी0, एल0एम0आई0जी0, एम0आई0जी0 तथा एच0आई0जी0 भवन निर्मित किये जा सकते हैं। • निजी निर्माणकर्ता द्वारा पात्र ई0डब्लयू0एस0 लाभार्थी को आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्तमान दर रू0 6.00 लाख प्रति आवास होगी। • स्थानीय नगर निकायों द्वारा लाभार्थियों का चिन्हीकरण मानक दिशा निर्देशों के

• ई0डब्ल्यू0एस0 / एल0आई0जी0 को स्थानीय विकास प्राधिकरण / स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्तमान दर रू0 6.00 लाख / प्रति आवास तथा एल0आई0जी0 रू0 10.00 लाख / प्रति आवास • स्थानीय निकायों द्वारा लाभार्थियों का चिन्हीकरण मानक दिशानिर्देशों के अनुसार किया जायेगा। • निर्माणकर्ता के पास योजना के क्रॉस सब्सीडाइजेशन का विकल्प होगा।	अनुसार किया जायेगा। • निर्माणकर्ता के पास योजना के क्रॉस सब्सीडाइजेशन का विकल्प होगा।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव

संख्या ______ / V-2-2021-66(आ0) / 2017 तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— निजी सचिव, सचिव, मा0 आवास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

2— सचिव, समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

3— सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

4— सचिव, हरिद्वार—रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

5— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अर्पण कुमार राजू)
उप सचिव